

उत्तर-प्रदेश सहायक लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा- 2025

नवीनतम पाठ्यक्रम

सहायक लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा- 2025 प्रिलिम्स परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम
प्रश्नपत्र- सामान्य ज्ञान तथा विधि

समय 2 घण्टे

अधिकतम अंक 150

भाग-I (सामान्य ज्ञान पर आधारित कुल 50 प्रश्न):-

शीर्षक

अंक/प्रश्नों की संख्या

(1) सामान्य विज्ञान	08
(2) अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं	10
(3) भारत का इतिहास	08
(4) भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन	08
(5) भारतीय राजव्यवस्था तथा अर्थशास्त्र	08
(6) विश्व का भूगोल तथा जनसंख्या	08

नोट- अभ्यर्थियों से उपरोक्त शीर्षकों के सम्बन्ध में सामान्य जागरूकता रखने की अपेक्षा की जाती है।

भाग-II (विधि विषय पर आधारित कुल 100 प्रश्न):-

इसमें निम्नलिखित अधिनियम और विधि शामिल होंगे:-

शीर्षक	अंक/प्रश्नों की संख्या
1- भारतीय न्याय संहिता, 2023	30
2- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023	20
3- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	25
4- उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम और विनियम	15
5- भारतीय संविधान	10

ऋणात्मक अंकन:- प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक-तिहाई (0.33) दंड स्वरूप काटा जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा, भले ही दिए गए उत्तरों में से एक सही हो और उसके लिए भी ऊपर बताए अनुसार ही दंड दिया जाएगा।

सहायक लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा- 2025 मुख्य परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम

(अ) लिखित परीक्षा:- मुख्य परीक्षा में 06 प्रश्नपत्र होंगे, जिनमें से सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नपत्र की अवधि डेढ़-डेढ़ घंटे की होगी, जबकि अन्य सभी प्रश्नपत्रों की अवधि तीन-तीन घंटे निर्धारित की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

प्रश्नपत्र	अंक
1. सामान्य हिंदी (प्रश्न-पत्र हाई स्कूल स्तर का होगा)	100
2. सामान्य अंग्रेजी (प्रश्न-पत्र हाई स्कूल स्तर का होगा)	50
3. सामान्य ज्ञान	50
4. आपराधिक विधि और प्रक्रिया	100
5. साक्ष्य अधिनियम	100
6. अन्य अधिनियम*	100
कुल अंक -500	

*"अन्य अधिनियम" के प्रश्नपत्र में निम्नलिखित अधिनियमों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे:-

- (i) आयुध अधिनियम, 1959
- (ii) लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012
- (iii) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961
- (iv) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
- (v) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
- (vi) सूचना एवं प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000
- (vii) विस्फोटक अधिनियम, 1884
- (viii) लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984
- (ix) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

- (x) उ०प्र० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1970
- (xi) उ०प्र० गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
- (xii) उ०प्र० गोवध निवारण अधिनियम, 1955
- (xiii) उ०प्र० विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021
- (xiv) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
- (xv) उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024
- (xvi) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946.

नोट:- सामान्य ज्ञान पाठ्यक्रम प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए समान है।

(ब) व्यक्तित्व परीक्षण
अंक

50

अभ्यर्थी की उपयुक्तता का निर्धारण उसकी कार्यकुशलता, चरित्र, व्यक्तित्व एवं शारीरिक योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

नोट:- अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।